प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 25.04.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 23.04.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी, झपटमारी महिलाओ के विरूद्ध अपराध, सदोष अवरोध, आपराधिक बल प्रयोग करने, गाली गलौच/मारपीट कर उपहति /घोर उपहति कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 05 विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	61/2025	लोनी बॉर्डर	पारूल उर्फ भारत भूषण पुत्र मूलचन्द निवासी म0नं0 606 संगम विहार, थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 244/2025 धारा 115(2),352,125,351(2) बीएनएस थाना लोनी बॉर्डर, 2. मु0अ0सं0 265/2025 धारा 115(2),131,352,351(2) बीएनएस थाना लोनी बॉर्डर, 3. मु0अ0सं0 415/2023 धारा 323,342 भादवि थाना लोनी बॉर्डर,
2	18/2026	नन्दग्राम	विशाल उर्फ विशु डागर पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 537 गली नं0-3 कृष्णानगर थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 919/2024 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना नन्दग्राम, 2. मु0अ0सं0 664/2025 धारा 110,115(2),190,191(1),191(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम
3	23/2026	मोदीनगर	सुदीप पुत्र स्व0 चमन सिंह निवासी ग्रामीण न्यायालय के पास कादराबाद थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 350/2025 धारा 74,78,351(3),352 बीएनएस व 3(2)5 एससी-एसटी एक्ट थाना मोदीनगर 2. मु0अ0सं0 520/2025 धारा 126(2),351(3), बीएनएस थाना मोदीनगर
4	33/2026	मसूरी	शेर मोहम्मद उर्फ शेरू पुत्र गबरू निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर ढबारसी थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 904/2020 धारा 379,411,413 भादवि थाना कविनगर, 2. मु0अ0सं0 1076/2020 धारा 379,411 भादवि थाना सिहानीगेट, 3. मु0अ0सं0 276/2025 धारा 115(2),117(2),125,131,191(2),351(3),352 बीएनएस थाना मसूरी
5	39/2026	मुरादनगर	आकाश पुत्र अनिल, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर धेंदा थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 360/2025 धारा 317(2),317(5) बीएनएस थाना मुरादनगर, 2. मु0अ0सं0 440/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना साहिबाबाद, 3. मु0अ0सं0 230/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम, 4. मु0अ0सं0 973/2024 धारा धारा 304(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना नन्दग्राम

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 42** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 12- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

UP112 PRV के कर्मचारी पर हमला करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 23.04.2026 को वादी का0 3749 श्री अमरूद्दीन ने थाना उपस्थित आकर तहरीर दी कि दिनांक 23.04.2026 को समय 02.00 बजे रात्रि, PRV 8633 पर तैनात हम पुलिसकर्मियों को इवेन्ट संख्या 23042601767 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी कि लगभग 20 से 25 लडके माउण्ट ग्रीम फार्म हाउस राजनगर एक्स0

गाजियाबाद में लापरवाही पूर्वक आतिशबाजी करके हंगामा कर रहे है, सूचना पर हम PRV कर्मियों ने मौक पर पहुँच कर उक्त व्यक्तियों को आतिशबाजी बंद करने के लिये कहा गया तो उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट की गयी एवं वर्दी फाडने का प्रयास किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया। वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ अभियुक्तगणों की पहचान की गयी जिनमें से आज दिनांक 25.04.26 को दबिश देकर अभियुक्तगण 1.नईम पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 38 वर्ष ,2.वसीम पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 35 वर्ष ,3.हुनेर पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 30 वर्ष , 4.उजैफ पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 20 वर्ष ,5.जुनैद पुत्र फारूख निवासी मौ0 कुरैशीयन थाना टीलामोड फरूखनगर उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अज्ञात आरोपीगण की तलाश जारी है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. नईम पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 38 वर्ष।
2. वसीम पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 35 वर्ष।
3. हुनेर पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 30 वर्ष।
4. उजैफ पुत्र रहीस निवासी फरूखनगर मदीना मस्जिद के पास थाना टीलामोड उम्र 20 वर्ष।
5. जुनैद पुत्र फारूख निवासी मौ0 कुरैशीयन थाना टीलामोड फरूखनगर उम्र 19 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग दिनांक 23.04.2026 तो एक शादी समारोह में माउन्ट ग्रीन फार्म हाउस राजनगर एक्सटेंशन में आये हुये थे, हम लोगों ने ड्रिन्क कर रखी थी और हम लोग पटाखे इत्यादि चला रहे थे तभी किसी ने 112 नम्बर पर काल करके हमारी शिकायत कर दी और मौके पर 112 की गाडी आयी थी। शराब के नशे में हम लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ भिड गये थे और गाली गलौज व मारपीट हो गयी थी। साहब हमसे गलती हो गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.04.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 15,000/-रुपये का इनामी अभियुक्त याहिया खान उर्फ फतेह पुत्र इबादुर रहमान निवासी निकट नूरानी मस्जिद पानी की टंकी के पास थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन अर्जित करने के लिये गौकशी, पशु क्रूरता आदि अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

याहिया खान उर्फ फतेह पुत्र इबादुर रहमान निवासी निकट नूरानी मस्जिद पानी की टंकी के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गौवध अधिनियम का 01 अभियोग, गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने व अवैध शस्त्र बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 48 पव्वे अवैध शराब बरामद।

दिनांक 24.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण 1. अजय सासी पुत्र इन्द्रजीत उर्फ नरेन्द्र कुमार निवासी मंडोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष 2. बॉबी पुत्र कैलाश कुमार निवासी मंडोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली हाल पता किराये का मकान गड्ढा कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 48 पव्वे दोस्ताना देशी शराब बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह अवैध शराब हम खरीदकर अपने आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में बेचकर मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.अजय सासी पुत्र इन्द्रजीत उर्फ नरेन्द्र कुमार निवासी मंडोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

2.बॉबी पुत्र कैलाश कुमार निवासी मंडोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली हाल पता किराये का मकान गड्ढा कालोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 48 पव्वे अवैध देशी शराब (उ.प्र. मार्का) बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटर साइकिल सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 25.04.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त इकरार पुत्र कल्लू उर्फ युसुफ निवासी मौहल्ला चौथाई ग्राम कलछीना थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को ग्राम पट्टी में बम्बे की पुलिया के पास थाना क्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन गाजीपुर ईस्ट, दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा- 317(5)/345(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मेरे भाई इशरार पुत्र कल्लू उर्फ यूसुफ निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद ने दिल्ली से चोरी की थी। मैंने यह मोटरसाइकिल अपने भाई से लेकर उसकी नम्बर प्लेट बदल दी थी और चला रहा था कि आज पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

इकरार पुत्र कल्लू उर्फ युसुफ निवासी मौहल्ला चौथाई ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 25.04.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त सौरभ पुत्र निरंजन सिंह निवासी शनि मंदिर के पास बालाजी विहार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को हज हाउस के पास साहिबाबाद से चोरी की एक मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्तः-

अभियुक्त सौरभ उपरोक्त नें पूछताछ के दौरान बताया कि मैने अपने शौक पूरा करने के लिए यह मोटर साइकिल करीब दस माह पूर्व दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के पास से चोरी की थी जिसे आज मै बेचने की फिराक मे था कि आपने चेकिंग के दौरान पकड लिया। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता :-

सौरभ पुत्र निरंजन सिंह निवासी शनि मंदिर के पास बालाजी विहार थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में वाहन चोरी का 01 मुकदमा, थाना साहिबाबाद पर वाहन चोरी बरामदगी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम।